पत्रांक-ब.17/बी0एस0जी0-137/2013....385

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांकः- 14/06/2024

विषय :- **बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रुपये है, को 30 मार्च, 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़) रुपये करने के संबंध में।**

महाशय,

बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 350 करोड़ रुपये का है। बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम,1950 की धारा-4 के बाद धारा-4'क' जोड़ी गयी है, जिसमें अस्थायी काय की निम्नांकित व्यवस्था है:-

''**धारा 4'क' अस्थायी कायः-** बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारंभ होकर प्रत्येक वर्ष 30 मार्च, तक के लिए आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में 350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये से अधिक वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो उसे मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत तक होगा । उस राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जा सकेगा ।''

वर्ष 2015-16 में बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 4, 2015) द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी काय को व्यय बजट का 3 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत तक प्रतिस्थापित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत किये गये मूल बजट में व्यय बजट 278725.72 करोड़ (दो लाख अटहत्तर हजार सात सौ पच्चीस करोड़ बहत्तर लाख) रुपये का है, जिसका चार प्रतिशत 11149.03 करोड़ (ग्यारह हजार एक सौ उनचास करोड़ तीन लाख) रुपये होता है । इस आलोक में इस अधिसीमा तक स्थायी काय को अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित/प्रभावितों को आपदा राहत दिया जाना है, जिसके लिए भी राशि

आकस्मिकता निधि से देनी होगी । आपदाओं की संभावनाओं को देखते हुए अस्थायी रूप से बढ़ी आकस्मिकता निधि का 50 प्रतिशत केवल प्राकृतिक आपदाओं पर ही उपयोग किया जाना उचित होगा । साथ-ही-साथ कई वैसी परियोजनाओं, जिनके लिए भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी परन्तु उसके अनुरूप बजट प्रावधान नहीं किया गया है, के लिए राशि आकस्मिकता निधि से देनी होगी क्योंकि वैसी परियोजनाओं की केन्द्रांश की राशि को एक निश्चित अवधि के अन्दर व्यय किया जाना अपेक्षित होता है । उसके लिए भी राशि की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए यह आवश्यक है कि आकस्मिकता निधि की अस्थायी काय को बढ़ाया जाय । राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि का वर्त्तमान स्थायी काय जो 350 करोड़ रुपये है, को 30 मार्च, 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़) रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से बिहार आकस्मिकता निधि की स्थायी काय, जो 350 करोड़ रुपये है, के स्थान पर, अस्थायी रूप से 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़) रुपये की राशि 30 मार्च, 2025 तक उपलब्ध होगी ।

मुख्य शीर्ष 8000 आकस्मिकता निधि में बढ़ायी गयी 9650 करोड़ (नौ हजार छह सौ पचास करोड़) रुपये की राशि का हस्तांतरण मुख्यशीर्ष 7999 आकस्मिकता निधि के विनियोजन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संजीव मित्तल) 14/06/24

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक ब.17/बी0एस0जी0-137/2013...385 पटना, दिनांक...14/06/2024

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव(संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

(संजीव मित्तल) 14/06/24

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी